NUMBER OF SCAMS IN MCF

*1866. SHRI NEERAJ SHARMA, M.L.A.:Will the Urban Local Bodies

Minister be pleased to state:-

- a) the number of scams exposed in the Municipal Corporation, Faridabad from the year 2014 to December, 2021 togetherwith the number of scams handed over to the Vigilance Department for investigation; and
- b) the details of recommendations made by the Vigilance Department in the inquiry of abovesaid scams togetherwith the action taken by the Government against the guilty officers/officials alongwith the details thereof?

DR. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

Sir,a statement is laid on the Table of the House as Annexure-'A'.

ANNEXURE-'A'

				_	ce Department pe eriod from 2014 t	_
Sr No	Inqui ry No.	Reason for Registrati	Against	Allegation	Recommendati on/Decision of the Vigilance	Action taken by the Urban Local Bodies
		on			Department	Department
Α	В	С	D	E	F	G
1.	01 dated 01.08. 2014 Farida bad	This inquiry has been registered by Vigilance Departme nt, Haryanavi de memo No. 52/57/201 3-1Vig (II) dated 17.07.201 4 on the basis of complaint	Officers/Of ficials of Municipal Corporation, Faridabad.	Causing financial loss to Municipal Corporatio n by not keeping record of Bank Accounts, Monthly income/Ex penditure and Audit in connivance with each other.	memo No. 52/57/2013-Vig. (II) dated 26.02.2019 and communicated to ULB Department. The allegations werelevied against the Accounts	has directed Municipal Corporation, Faridabad to initiate process in respect of recovery of amount of dishonoured chequesas suggested by the Vigilance

The status of cases received from Vigilance Department pertaining to Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December, 2021 Sr Inqui Reason Against Allegation Recommendati Action taken

Sr No	Inqui ry No.	Reason for Registrati on	Against	Allegation	Recommendati on/Decision of the Vigilance Department	Action taken by the Urban Local Bodies Department
Α	В	С	D	E	F	G
		dated 15.04.201 4 received from Shri Ravinder Chawla, R/o H. No. 5J/46, NIT Faridabad.			opening of many banks accounts, non- reconciliation of banks accounts with the cash book, non- initiating action in respect of dishonoured cheques, not uploading the details of incomes and expenditures on the official website, non-execution of agreements with the outsourcing agencies, non-deposition of PF amount of regular employees. All these allegations were inquired by the Vigilance Department and none of these allegations against the officers/officials were proved. However, Vigilance Department suggested that MCF may take appropriate action regarding the dishonoured cheques.	Government. MCF has recovered Rs. 1.37 crores in respect of 502 dishonoured cheques against total amount of Rs. 4.49 crores on account of 1182 dishonoured cheques so far. Action for recovery of remaining amount of Rs. 3.12 crores in respect of 680
2.	Inquir y No. 01 dated 06.01. 2015	For concealing evidence in transferrin g of 8012 Sq. Yds.	1. Vinod Singh, Assistan t Enginee r, Municip	For concealing evidence in transferrin g of 8012 Sq. Yds. Governme	The Vigilance Department, Haryana had decided to register criminal case against Officers/Officials	under investigation of State Vigilance

Sr	Inqui	Reason	Againet	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	. Docommondati	Action taleas
			Against	Allegation	Recommendati	Action taken
	ry	for			on/Decision of	by the Urban
No	No.	Registrati			the Vigilance	Local Bodies
		on			Department	Department
Α	В	С	D	E	F	· G
		Governme	al	nt land in	of Municipal	taken after the
		nt land in	Corpora	NIT	Corporation,	finalization of
		NIT	-	Faridabad	Faridabad	
			tion,			the
		Faridabad	Faridab	to M/s		_
		to M/s	ad	Indian	in the inquiry No.	-
		Indian	2. Daya	Hardware	01 dated	
		Hardware	Kishan	Industries	06.01.2015	Department of
		Industries	Solanki,	limited and		the State
		limited	Junior	for	In this inquiry,	Government.
		and for	Enginee	sanctioning	FIR No.03 dated	, <u>.</u>
		sanctionin	r	the plans	22.08.2019 was	(ii)
		g the	3. Satish	on the	registered under	
		plans on	Aggarw	basis of	sections 420,	, ,
		the basis	al, XEN	bogus	467, 468, 471,	
		of bogus	4. Officers/	document	120B of IPC and	
		document	Officials	in	13 (1) of P.C.	issue charge-
		in .	<u>,</u> District	connivance	Act at Police	
		connivanc	Town	with land	Station, State	Rule-7 of the
		e with land	Planner	owners.	Vigilance Bureau,	` '
		owners.	and		Faridabad.	Rules, 2016
			private			againstall the
			persons.			officers/official
						smentioned
						therein.
						(iii) The
						charge-sheet
						issued to Shri
						Rajesh
						Nandan, Head
						Draftsman
						(now Circle
						Head
						Draftsman)
						had been
						dropped by
						Municipal
						Corporation,
						Faridabad
						subject to the
						final outcome
						of the vigilance
						inquiryunder
						intimation to
						State
						Government.
						(iv) S/Shri
						Vinod Singh,
						AE & D.K.

Sr No	Inqui ry No.	Reason for Registrati on	Against	Allegation	Recommendati on/Decision of the Vigilance Department	Action taken by the Urban Local Bodies Department
A	В	С	D	E	F	G
3.	05 dated 26.04. 2019	This inquiry has been registered vide Memo No. 52/10/201 9-2Vig(II) dated 24.04.201 9 by the Governme nt of Haryana, Vigilance Departme nt on the basis of Source report No. 02 Dated 06.01.201 9 Faridabad.	Officers/Of ficials of Municipal Corporatio n, Faridabad.	Causing financial loss to the tune of crores of rupees by Officers/Officials of Municipal Corporation, Faridabad by doing irregularities while constructing bituminous road on the periphery road in the Badhkhal Vidhan Sabha constituency from Budha Vihar	The said inquiry has been cancelled by the Government of Haryana, Vigilance Department vide memo No. 52/10/2019-2Vig.(II) dated 22.04.2021 as this inquiry No. 05 dated 26.04.2019 is a part of inquiry No. 06 dated 10.05.2019 (Sr. No. 4 of the table) & the allegations contained in the	Solanki, the then JE (retired as AE) who were posted at the relevant time in Building & Survey Branch had already been exonerated from the charges by the State Government vide memo No. 12/104/2019-5C1 dated 27.04.2020. No action is required to be taken in inquiry No. 05 dated 26.04.2019 by ULB

C	Tm	Denes	A !	2021	December det	Action tolers
Sr	Inqui ry	Reason for	Against	Allegation	Recommendati on/Decision of	Action taken by the Urban
No	_	Registrati			the Vigilance	Local Bodies
.	1101	on			Department	Department
Α	В	С	D	E	F	G
				ITI, ITI to Neelam Chowk, Neelam Chowk to Hardware Chowk, Hardware Chowk to Vihar Chowk.		
4.	06 dated 10.05. 2019 Faridab ad	This inquiry has been registered vide memo No. 52/22/201 9-2Vig(II) dated 06.05.201 9 by the Governme nt of Haryana, Vigilance Departme nt on the basis of inquiry received from the Urban Local Bodies Departme nt Vide memo No. 21/58/2018-5CI dated 12.12.201 8	1. Daulat Ram Bhaska r (D.R. Bhaska r), CE, Munici pal Corpor ation, Faridab ad. 2. Deepa k Thapar , the then Joint Directo r (Audit) . 3. B.K., XEN. 4. Shyam Singh, XEN. 5. Ajay Kumar, XEN. 6. Rames h Bansal, Superi ntendi	Basti No. 3, NIT Faridabad and in making bituminous road on the periphery	to SVB for registering an FIR w.r.t. part 6 & 7 of the allegation No. 3 against the	on/ decision is awaited from

Sr No		Reason for Registrati on	Against	Allegation	Recommendati on/Decision of the Vigilance Department	Action taken by the Urban Local Bodies Department
Α	В	С	D	E	F	G
NO . A	B B	_	ng Engine er 7. Madan Mohan Sachde va, Junior Engine er 8. Naval Singh, Assista nt Engine er 9. Khem Chand, Assista nt Engine er 10. Sher Singh, Junior Engine er 11. Prem Raj, XEN 12. Pankaj Kumar, Clerk 13. Pradee p, Clerk 14. Taslee m, Clerk 15. Satbir Singh, Contra ctor 16. Raj Kumar	E Budha Vihar Chowk to ITI, ITI to Neelam Chowk, Neelam Chowk to Hardware Chowk to Budha Vihar Chowk.		Department
			Gandhi , Prop.			
			M/s R.K. Gandhi			

		T	T	2021		
Sr No	Inqui ry No.	Reason for Registrati on	Against	Allegation	Recommendati on/Decision of the Vigilance Department	Action taken by the Urban Local Bodies Department
Α	В	С	D	E	F	G
			, P.S. Constr uction and his firms 17. Shri Radha Prop. M/s Radha Concre te produc tion and his firm.			
5.	02 dated 12.03. 2020 Farida bad	This inquiry has been registered vide memo No. 52/204/20 19-2Vig (II) dated 08.03.202 0 by the Governme nt of Haryana, Vigilance Departme nt on the basis of proposal/c omplaint of Urban Local Bodies Departme nt.	Officers/Of ficials of Municipal Corporation, Faridabad and Shri Chet Ram, the then Patwari,	connivance with Political &Administr ative Officers of Ballabhgar h City. Kalpana Chawla park is the only approx.40	registering an FIR against Shri Chet Ram,	The recommendati on/ decision is awaited from the Vigilance Department of the State Government.

Sr No	Inqui ry No.	Reason for Registrati on	Against	Allegation	Recommendati on/Decision of the Vigilance Department	Action taken by the Urban Local Bodies Department
A	В	С	D	E	F	G
				from the newspaper s, there is an allegation of encroachme nt done by people on the park in connivance with the Officers/Officials of Municipal Corporatio n.		
6.	02 dated 10.02. 2021 Farida bad.	This inquiry has been registered vide Memo No. 52/45/202 0-5Vig(II) dated 05.02.202 1 by the Governme nt of Haryana, Vigilance Departme nton the basis of complaint dated nil received from complaina ntsShri Deepak Choudhary, Councillor, Ward No. 37, MC, Faridabad and other Councillors .	Joint Director (Audit) 3. Raman Sharma, XEN 4. Sher Singh, AE (died) 5. Deepak Kumar,	Allegation regarding irregulariti es committed in execution of developme nt works in different wards of Municipal Corporatio n, Faridabad.	State Vigilance Bureau vide memo No. 1838 dated 04.02.2022 has suggested the Vigilance Department, Haryana for registration of criminal case against all the delinquents under section 166, 167, 218, 420, 409, 467, 468, 471, 120-B, 201 IPC and 7, 13 of P.C. Act. After examination of the inquiry report, the Vigilance Department has asked the State Vigilance Bureau to re-examine the inquiry report on certain points.	awaited from the Vigilance Department. Further, Urban Local Bodies Department has decided to issue chargesheet under Rule 7 of the HCS (P&A) Rules, 2016 against S/Shri D.R. Bhaskar, the then CE, Raman Sharma, the then XEN and Vishal Kaushik, Accounts Officer.Accordingly, Commissioner, MCF has been requested on 23.11.2021 to

Sr No	Inqui ry No.	Reason for Registrati	Against	Allegation	Recommendati on/Decision of the Vigilance	Action taken by the Urban Local Bodies
A	В	on C	D	E	Department F	Department G
			Junior Enginee r 7. Pankaj Kumar, Clerk 8. Pradeep , Clerk 9. Tasleem , Clerk 10. Satbi r Singh, Contract or			accordingly.
7.	05 Dated 19.07. 2021 Farida bad.	This inquiry has been registered vide Memo No. 52/75/201 9-2Vig (II) dated 14.07.202 1 by the Governme nt of Haryana, Vigilance Departme nt on the basis of complaint of complaint of complaint of complaina nts Shri Sahi Ram, Dharam Pal S/o Chitru and Raj Kumar & Rajinder R/o Village Anangpur, District Faridabad.	Officers/Of ficials of Municipal Corporatio n, Faridabad.	Causing financial loss of Crores of Rupees to Governme nt by the Officers/Officials of HSVP, MC, Faridabad and Excise & Taxation Departmen t, Faridabad in connivance with land Mafias namely S/Shri Rajesh Thakur, Suresh Bansal and Om Prakash Bainsla.	Under process.	The recommendati on/ decision is awaited from the Vigilance Department of the State Government.

Sr	Inqui	Reason	Against	Allegation	Recommendati	Action taken
No	ry	for Registrati			on/Decision of the Vigilance	by the Urban Local Bodies
	140.	on			Department	Department
Α	В	С	D	E	F	G
8.	Dated 21.12. 2021 Farida bad	This inquiry has been registered vide memo No. 52/45/202 0-5Vig(II) dated 08.12.202 1 by the Governme nt of Haryana, Vigilance Departme nt on the basis of inquiry report received from ADGP, CID, Haryana, Panchkula.	Shri Satbir Singh, Contractor and Officers/Of ficials of Municipal Corporation, Faridabad.	Causing financial loss to the Governme nt by committing irregulariti es while execution of work of putting iron railings by Shri Satbir Singh, Contractor in connivance with Officers/Off icials ofMunicipal Corporatio n, Faridabad.	Under process.	The recommendati on/ decision is awaited from the Vigilance Department of the State Government.
9.	08 dated 29.12. 2021 Farida bad	This inquiry has been registered vide memo No. 52/45/202 0-5Vig (II) dated 23.12.202 1 by the Government of Haryana, Vigilance Department on the basis of complaint dated 11.08.202 1 received from Commissio	Shri Praveen Kumar, Contractor &Officers/ Officialsof MCF.	Causing financial loss to Governme ntwhile execution of work of maintenan ce of sewer line in Ward Nos. 36 and 40 by Shri Praveen Kumar, Contractor in connivance with Officers/Officials of Municipal Corporatio n,	Under process.	The recommendati on/ decision is awaited from the Vigilance Department of the State Government.

	Municipal Corporation, Faridabad for the period from 2014 to December, 2021									
Sr No	Inqui ry No.	Reason for Registrati on	Against	Allegation	Recommendati on/Decision of the Vigilance Department	Action taken by the Urban Local Bodies Department				
Α	В	С	D	E	F	G				
		ner, Municipal Corporatio n, Faridabad.		Faridabad.						

नगरनिगमफरीदाबादमें घोटालों की संख्या

*1866. श्रीनीरज शर्मा, एम.एल.ए.: क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:—

- (क) वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 तक नगर निगम फरीदाबाद में उजागर हुए घोटालों की संख्या कितनी है तथा विजिलेंस विभाग को जांच के लिए सौंपे गए घोटालों की संख्या कितनी हैं; तथा
- (ख) उपरोक्त घोटालों की विजिलेंस विभाग द्वारा की गई जांच की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए है तथा उनका ब्यौरा क्या है?

डाँ० कमलगुप्ता, शहरीस्थानीय निकाय मंत्री

श्रीमान् जी, इस बारे विवरण सदन के पटल पर **अनुबन्ध**— "ए" पर उपलब्ध है।

				स्थिति	ते	
क0 सं0	जांच कमां क	दर्ज करने का आधार	विरूद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
क	ख	ग	घ	ड	ם	চ
1.	01	यह जांच	नगर निगम,	नगर निगम,	चौकसी विभाग,	
	दिनां	शिकायतकर्ता श्री	फरीदाबाद	फरीदाबाद के	हरियाणाद्वारा	विभाग के निर्णय अनुसार नगर निगम,
	क	रविन्द्र चावला निवासी	के	बैंक खातों,	यादि क्रमांक	फरीदाबाद को बाउंस हुये चैक की रिकवरी
	01.	मकान नं0 5जे/46,	अधिकारी /	मासिक	52 / 57 / 2013-	करवाने हेतु निर्देशित किया गया था।
	08.	एन०आई०टी०,	कर्मचारी।	आमदनी / खर्चा	चौकसी(॥) दिनांक	
	2014,	फरीदाबाद से प्राप्त		व ऑडिट का		, ,
	फरीद	शिकायत दिनांक 15.		लेखा-जोखा न		करोड़ रूपये में से 502 अनादरित (डिसऑनर)
	ाबाद।	04.2014 के आधार		रखने में आपस		चैको का मु0 1.37 करोड़ रूपये वसूल किये है
		पर चौकसी विभाग,		में मिलीभगत	तथा शहरी	तथा बचे हुये 680 अनादरित (डिसऑनर) चैको
		हरियाणा के यादि		करके	स्थानिय निकाय	के मु0 3.12 करोड़ रूपये की वसूली हेतु
		क्रमांक		अनियमितताएं	विभाग को सूचित	कार्रवाई की जा रही हैं।
		52 / 57 / 2013—1चौ(बरतकर नगर		
		ा) दिनांक 17.07.		निगम को वित्तिय हानि	है।	
		2014 अनुसार दर्ज की गई।		।वात्तय हानि पहुंचाने बारे।	नगर निगम, फरीदाबाद की	
		ਖ਼ਾ ।ਝ।		पठ्रमाः। बार।) फरादाबाद का लेखा शाखा में	
					कार्यरत	
					कर्मचारियों के	
					विरूद्ध कई बैंक	
					खाते खोलने, बैंक	
					खातों का कैश	
					बुक से मिलान न	
					होने, बाउंस ह <u>ु</u> ये	
					चैक के विरूद्ध	
					कोई कार्रवाई न	
					करने, कार्यालय	
					की वैब साईट पर	
					आय एवं व्यय का	
					विवरण अपलोड	
					न करने,	
					आउटसोर्सिंग	
					एजन्सियों के	
					साथ एग्रीमेंट न	
					करने, नियमित	
					कर्मचारियों का	
					भविष्य निधि का	
					पैसा जमा न	
					कराने इत्यादि बारे आरोप लगाये	
					गये थे। इन	
					्राय था इन सभी आरोपों पर	
					चौकसी विभाग	
					द्वारा जांच की	
					गई थी तथा	
					किसी भी	
					अधिकारियों / कर्म	
					चारियों के विरूद्ध	
					इनमे से कोई	
	Ī	İ	İ	I .	1 < '' ''' '''	I .

वर	2014	से दिसम्बर, 2021 र्क	ो अवधि तक	चौकसी विभाग स्थि		ाम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की
क0 सं0	जांच कमां क	दर्ज करने का आधार	विरूद्ध	<u>ास्याः</u> आरोप	<u>।</u> चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
क	ख	ग	घ	ड	च	চ্চ
					हुये थे। चौकसी विभाग द्वारा नगर निगम, फरीदाबाद को बाउंस चैक के सम्बन्ध में कार्रवाई करने बारे सुझाव दिया गया।	
2.	जांच कमां क 01 दिनां क 06. 01. 2015	एनआईटी, फरीदाबाद में 8012 वर्ग गज सरकारी भूमि मेसर्स इंडियन हार्डवेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को धोखाधड़ी से हस्तांतरित करने में साक्ष्य को छुपाकर व भू—स्वामियों से मिलीभगत करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर नक्शे पास करने बारे।	 विनोद सिंह, सहाय क अभियं ता, नगार, फरीदा बाद। कि सोलंक ो, किनिध्ठ अभियं ता, नगार, किनिध्ठ ता। अग्रवा ल, कार्यका प्राईवेद व्यक्त। 	एनआईटी, फरीदाबाद में 8012 वर्ग गज सरकारी भूमि मेसर्स इंडियन हार्डवेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को धोखाधड़ी से हस्तांतरित करने में साक्ष्य को छुपाकर व भू-स्वामियों से मिलीभगत करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर नक्शे पास करने बारे।	प्राईवेट लोगों के विरूद्व आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का निर्णय	 यह मामला राज्य चौकसी ब्यूरौ के अनुसंधानधीन है तथा चौकसी विभाग द्वारा जाँच के पूर्ण होने उपरांत कार्रवाई कर ली जायेंगी। इसके साथ साथ, राज्य सरकार द्वारा सभी आरोपियों के विरुद्ध हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया है। श्री राजेश नन्दन, हैड ड्राफ्टसमैन के विरुद्ध जारी चार्जशीट को नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा इस शर्त के साथ ड्राप किया गया है कि चौकसी विभाग के निर्णय अनुसार कार्रवाई की जायेंगी। तदानुसार सरकार को भी सूचित किया जा चुका हैं। राज्य सरकार के यादी क्रमांक 12/104/ 2019—5क1 दिनांक 27.04. 2020 अनुसार सर्व श्री विनोद सिंह, सहायक अभियन्ता तथा डी०के० सौलंकी, तत्कालीन कनिष्ट अभियन्ता, जो कि उस वक्त भवन एवं सर्वे शाखा में नियुक्त थे, को आरोपों से बरी कर दिया गया था।
3.	05 दिनां क 26. 04. 2019 फरीद ाबाद।	यह जांच आसूचना रिपोर्ट कमांक 02 दिनांक 06.01.2019, फरीदाबाद के आधार पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि कमांक 52/10/2019—2चौ(II) दिनांक 24.04. 2019 अनुसार दर्ज	नगर निगम, फरीदाबाद के अधिकारी / कर्मचारी।	नगर निगम, फरीदाबाद के अधिकारी / कर्म चारी द्वारा बडखल विधान सभा क्षेत्र मे बौद्ध विहार चौक से आई0टी0आई0,	चौकसी विभाग द्वारा यादि क्रमांक 52 / 10 / 2019— 2चौ(II) दिनांक 22.04.2021 द्वारा जांच क्रमांक 05 दिनांक 26.04. 2019 निरस्त कर दी गई क्योंकि यह जांच एक अन्य जांच क्रमांक 06 दिनांक 10.05.	जांच क्रमांक 05 दिनांक 26.04.2019 पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जानी है ।

व्य	2014	से दिसम्बर, 2021 र्क	ो अवधि तक	चौकसी विभाग स्थि		ाम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की
क0 सं0	जांच कमां क	दर्ज करने का आधार	विरूद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
क	ख	म की गई।	घ	खें से नीलम चौक, नीलम चौक से हार्डवेयर चौक से बौद्व विहार चौक की पेरी—फेरी रोड पर तारकोल की सडक बनाने के कार्यों में अनियमितताओं कर के करोड़ो रूप्यों का घोटाले करने बारे आरोप है।	च 2019 (तालिका के कम संख्या 4 पर वर्णित)का हिस्सा है तथा इस जांच में वर्णित आरोप जांच कमांक 06 दिनांक 10.05. 2019(तालिका के कम संख्या 4 पर वर्णित) में अनुसंधानधीन है ।	छ
4.	06 दिनां क 10. 05. 2019 फरीद ाबाद।	यह जांच शहरी स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त यादि कमांक 21/58/ 2018—5सी.आई. दिनांक 12.12.2018 के आधार पर चौकसी विभाग, हिरयाणा के यादि कमांक 52/22/2019—2चौ(II) दिनांक 06.05. 2019 अनुसार दर्ज की गई।	 दौलत राम भारकर (डी0आ र0भारक र), मुख्य अभियंता , नगर निगम, फरीदाब ाद। दीपक थापर, तत्काली न संयुक्त आयुक्त, अंकेक्षण (ऑडिट)। बी0के0, कार्यका री अभियंता । श्याम सिंह, कार्यका री अभियंता ,। अजय कुमार, कार्यका री अभियंता । 	अधिकारी / कर्म चारी व अन्य द्वारा कल्याणपुरी बस्ती नं0 3 पर एन0आई0टी0, फरीदाबाद मे नाले की पुलिया का निर्माण कार्य	मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार ने राज्य चौकसी ब्यूरौ को आरोपियों के विरूद्ध आरोप नं0 3 के पार्ट नं0 6 व 7 के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकत	चौकसी विभाग, राज्य सरकार का निर्णय / सिफारिश अभी अपेक्षित है ।

₽0 Hi0	जांच कमां क	दर्ज करने का आधार	विरूद्ध	आरोप	ते चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
<u></u> क	ख	ग	घ	ভ	च	<u> </u>
47	ч	-1	6 . रमेश		9	<u> </u>
			बंसल,			
			अधीक्षण			
			अभियंता			
			1			
			7. मदन			
			मोहन			
			सचदेवा,			
			कनिष्ठ			
			अभियंता			
			I			
			8. नवल			
			सिंह,			
			सहायक			
			अभियंता			
			Ţ			
			9. खेमचन्द			
			,			
			सहायक			
			अभियंता			
			10 1			
			10. शेर			
			सिंह, कनिष्ट			
			अभियंता अभियंता			
			जागवता			
			' 11. प्रेमराज,			
			कार्यका			
			री			
			 अभियंता			
			1			
			12. पंकज			
			कुमार,			
			लिपिक			
			I			
			13. प्रदीप,			
			लिपिक			
			I			
			14. तस्लीम			
			लिपिक			
			ı			
			15. सतबीर			
			सिंह,			
			ठेकेदार,			
			नगर नि गम्			
			निगम।			
			16. राज कमार्ग			
			कुमार गांधी,			
			गाधा, प्रो0मैस			
			प्राण्मस र्स आर.			
			स आर. के.			
			क. गांधी,			

वर्ष	2014	से दिसम्बर, 2021 की	ो अवधि तक	चौकसी विभाग स्थिति		ाम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की
क0 सं0	जांच कमां क	दर्ज करने का आधार	विरूद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
क	ख	ग	घ	ड	च	ঘ
5.	02 दिनां क 12. 03. 2020 फरीद ाबाद।	यह जांच शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव/शिकायत के आधार पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि कमांक 52/204/2019—2चौ (IT) दिनांक 08.03. 2020 अनुसार दर्ज की गई।	पी०एस० कंस्ट्रक्श् ान व उसकी फर्म। 17. श्री राधा प्रो0 भैसर्स राधा कंक्रीट प्रोडक्श न व उसकी फर्म। नगर निगम, फरीदाबाद कंअधिकारी व श्री चेतराम तत्कालीन पटवारी, बल्लभगढ़।	बल्लभगढ़ शहर में भूमाफियाओं द्वारा राजनैतिक व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कल्पना चावला पार्क की भूमि पर कब्जा करना। कल्पना चावला पार्क लगभग 40 वर्ष पुराना एक मात्र ही पार्क है। जिसमें समस्त बल्लभगढ़वासी स्वास्थ्य लाभ उठाते है, लेकिन समाचार पत्रो से प्राप्तिरेपोर्ट अनुसार 5 अगस्त को कुछ लोगो ने नगर निगम के कर्मचारियों / अि धकारियों से मिलीभगत करके पार्क पर अवैध कब्जा करने बारे आरोप है।	राज्य चौकसी ब्यूरौ के यादि कमांक 2660 दिनांक 18.02. 2022 अनुसार चौकसी विभाग, हिरयाणा को भेजी गई रिपोर्ट में श्री चेतराम तत्कालीन पटवारी, बल्लभगढ़ के विरूद्ध धारा 5(डी) पीठसीठ एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने राज्य सरकार के विरूद्ध पीठसीठ एक्ट की धारा ब्यूरौ को श्री चेत राम, पटवारी के विरूद्ध पीठसीठ एक्ट की धारा 5(डी) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने के आदेश जारी किये है।	चौकसी विभाग, राज्य सरकार का निर्णय / सिफारिश अभी अपेक्षित है ।
6.	02 दिनां क 10. 02.	यह जांच शिकायतकर्ता श्री दीपक चौधरी, पार्षद, वार्ड नं0 37, फरीदाबाद व अन्य पार्षदों से प्राप्त	1. दौलत राम भास्कर (डी0आ र0भास्क	नगर निगम, प विभिन्न वार्डी में कार्यो में अनियां आरोप है।	ब्यूरौ केयादि कमांक 1838 दिनांक 04.02. 2022 अनुसार चौकसी विभाग,	चौकसी विभाग, राज्य सरकार का निर्णय / सिफारिश अभी अपेक्षित है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सर्व श्री डी0आर0 भास्कर, मुख्य अभियन्ता, रमन शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता तथा विशाल कौशिक, लेखा अधिकारी के विरुद्ध हरियाणा
	2021 फरीद	पार्षदों से प्राप्त शिकायत दिनांक	र), मुख्य		हरियाणा को सभी आरोपियों के	सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 7 के अन्तर्गत चार्जशीट जारी

वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक चौकसी विभाग से प्राप्त नगर निगम, फरीदाबाद से सम्बन्धित स्थिति						
	जांच			1171	चौकसी विभाग	
क0	कमां	दर्ज करने का आधार	विरूद्ध	आरोप	द्वारा दिये गये	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई
सं0	क	पुरा परिश की जावार	।पराञ्च	जाराप	निर्णय/सिफारिश	कार्रवाई
क	ख	ग → ००००	घ	ड	च	8
	ाबाद।	शून्य के आधार पर	अभियंता		विरूद्ध धारा 166,	करने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम,
		चौकसी विभाग,	, नगर		167, 218, 420,	फरीदाबाद को दिनांक 23.11.2021 को
		हरियाणा के यादि	निगम,		409, 467, 468, 471, 120—बी,	चार्जशीट का प्रारूप भेजने बारे अनुरोध किया
		क्रमांक	फरीदाब		201 भा0द0स0 व	
		52 / 45 / 2020-5चौ(ाद।		7, 13 पी0सी0	(विगुसार कारवाई कर ला जावना)
		ा) दिनांक 05.02.	2. दीपक		एक्ट के तहत	
		2021 अनुसार दर्ज	थापर,		आपराधिक	
		की गई।	तत्काली		मुकदमा दर्ज	
			न		करने का सुझाव	
			संयुक्त		दिया गया है।	
					जांच रिपोर्ट के	
			आयुक्त,		निरीक्षणोपरान्त	
			अंकेक्षण		चौकसी विभाग,	
			(ऑडिट		राज्य सरकार	
)		द्वारा राज्य	
			3. रमन		चौकसी ब्यूरी को	
			शर्मा,		कुछ बिन्दुओ पर	
			कार्यका		पुनः निरीक्षण	
			री		करने बारे कहा गया है।	
			अभियंता		। गया ह। 	
			ı			
			4. शेर			
			ा. सर सिंह,			
			सहायक			
			अभियंता			
			5. दीपक			
			कुमार,			
			सहायक			
			कनिष्ट			
			अभिंयता			
			I			
			6. राजन			
			तेवतिया			
			, कनिष्ट			
			अभियंता			
			जामयता '			
			7. पंकज ———			
			कुमार,			
			लिपिक			
			I			
			८. प्रदीप,			
			लिपिक			
			I			
			9. तस्लीम			
			लिपिक			
			10. सतबीर			
			ाठ. राराजार सिंह,			
			वेकेदार,			
			नगर रिक्का ।			
			निगम।			

वर	2014	से दिसम्बर, 2021 क	ो अवधि तक	चौकसी विभाग स्थि		ाम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की
क0 सं0	जांच कमां क	दर्ज करने का आधार	विरूद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
<u>क</u>	ख 05 दिनां क 19. 07. 2021 फरीद ाबाद।	म यह जांच शिकायतकर्ता श्री सही राम, धर्मपाल पुत्र चितरू तथा राज कुमार व राजेन्द्र, निवासीगण गांव अनंगपुर, जिला फरीदाबाद की शिकायत पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि क्रमांक 52 / 75 / 2019—2चौ(II) दिनांक 14.07. 2021 अनुसार दर्ज की गई।	घ नगर निगम, फरीदाबाद के अधिकारी / कर्मचारी	हिरेयाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, फरीदाबाद व आबकारी एवं कराधान विभाग फरीदाबाद के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा भू—माफियागण राजेश ठाकुर, सुरेश बंसल व औम प्रकाश बैंसला से मिलीभगत करके सरकार को करोड़ों रूपये का अर्थिक हानि	च यह जांच अभी प्रगति पर है।	चौकसी विभाग, राज्य सरकार का निर्णय / सिफारिश अभी अपेक्षित है ।
8.	06 दिनां क 21. 12. 2021 फरीद ाबाद।	यह जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा, पंचकूला से प्राप्त जांच रिपोर्ट पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि कमांक 52/45/2020—5चौ(II) दिनांक 09.12. 2021 अनुसार दर्ज की गई।		सतबीर सिंह, ठेकेदार, व कर्मचारी / अधि कारी, नगर निगम,	यह जांच अभी प्रगति पर है।	चौकसी विभाग, राज्य सरकार का निर्णय / सिफारिश अभी अपेक्षित है ।
9.	08 दिनां क 29. 12. 2021 फरीद ाबाद।	यह जांच आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद से प्राप्त शिकायत दिनांक 11. 08.2021 के आधार पर चौकसी विभाग, हरियाणा के यादि कमांक 52/45/2020—5चौ(II) दिनांक 23.12. 2021 अनुसार दर्ज की गई।	श्री प्रवीण कुमार, ठेकेदार व कर्मचारी / अ धिकारी, नगर निगम, फरीदाबाद।	प्रवीण कुमार, ठेकेदार, व कर्मचारी/अधि	~ ·\	चौकसी विभाग, राज्य सरकार का निर्णय / सिफारिश अभी अपेक्षित है ।

वर्ष	वर्ष 2014 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक चौकसी विभाग से प्राप्त नगर निगम, फरीदाबाद से सम्बन्धित मामलों की स्थिति								
क0 सं0	जांच कमां क	दर्ज करने का आधार	विरूद्ध	आरोप	चौकसी विभाग द्वारा दिये गये निर्णय/सिफारिश	शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की गई कार्रवाई			
क	ख	ग	घ	ड	च	চ্চ			
				नुकसान पहुंचाने बारे।					